राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकःपं. 46 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2022 / 400 दिनांक :– 25/05/2022

–ःकार्यालय आदेशः–

Tagore Institute of Paramedical Sciences, Tagore Lane, Sector-7, Shipra Path, Madhyam Marg, Mansarovar, Jaipur. को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5839 दिनांक 27.11.2015 संस्थान को Diploma in Medical Laboratory Technology, Diploma in Radiation Technology, Diploma in Operation Theatre Technology, Diploma in Emergency & Trauma Care Technology, Diploma in Opthalmic Technology डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु 25 सीटो की अस्थाई मान्यता दी गई थी। राजस्थान पैरामेडिकल एक्ट 2008 नियम / विनियम 2014 के Part XV Rule 53(1)A के प्रावधानों की अनुपालना में मान्यता प्राप्ति के 05 वर्ष उपरान्त स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट किये जाने का प्रावधान है।

संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि हेतु आवेदन किये जाने पर दिनांक 11.10.2021 को कराये गये निरीक्षण एवं पत्रावली के परीक्षण उपरान्त संस्थान में पाई गई कमियो के संबंध में इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक 371 दिनांक 19.05.2022 दिया जाकर नोटिस में वर्णित निम्न बिन्दुओ पर व्यक्तिशः उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने हेतु लिखा गया।

1. Land of institute and hospital was allotted to Maya Kanwar Ba Mahila Vikas Samiti by RHB Jaipur only for the purpose of female nursing training institute and hospital is owned by Dr. Vijay Rathor.
2. Fire NOC is Valid up to 01-12-2021.
3. AERB Certificate for C-Arm Machine is not available.
4. Full time qualified technician in concerned specialty are not available in both Courses and only 7 faculty members are eligible as per norms.

उपरोक्त नोटिस के लिखित जवाब में संस्था के प्रतिनिधि ने दिनांक 24.05.2021 को व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित कथन प्रस्तुत किया कि राजस्थान आवासन मण्डल, राज्य सरकार द्वारा संस्था को सन् 2001 में 11,106 वर्गमीटर भूमि माया कंवर बा महिला विकास समिति, जयपुर के स्वामित्व में आवंटन हुआ था। उस समय राजस्थान राज्य में पैरामेडिकल कोर्सेज संचालित नहीं थे। संस्था द्वारा 21/01/2015 को नवीन पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूट प्रारम्भ करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से पाया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा माया कंवर बा महिला विकास समिति, जयपुर को उक्त भूमि **"महिला नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र"** के लिये दी जाकर शर्त संख्या 3 लगाई गई कि उक्त भूखण्ड का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जावेगा, जिसके लिये मण्डल ने भूखण्ड आवंटित की गई है, किसी अन्य कार्य हेतु भूखण्ड का उपयोग नहीं किया जायेगा, उक्त से स्पष्ट है कि आवासन मण्डल द्वारा आवंटित कि गई उक्त भूमि को Tagore Institute of Paramedical Sciences, हेतु आवंटित नहीं किये जाने के कारण स्वंय की भूमि नहीं माना जा सकता।

इसी प्रकार CMHO Jaipur के पत्र क्रमांक 1700 दिनांक 30.11.2016 के अवलोकन से विदित होता है कि टैगोर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट का मालिकाना हक श्री विजय राठौड का वर्णित है। श्री विजय राठौड माया कंवर बा महिला विकास समिति, जयपुर के सचिव होने से उनके व्यक्तिगत नाम के चिकित्सालय का Tagore Institute of Paramedical Sciences, अथवा माया कंवर बा महिला विकास समिति, जयपुर का मालिकाना हक साबित नहीं होता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्थान का स्वंय का चिकित्सालय भी नहीं है। संस्थान द्वारा 5 वर्ष पश्चात भी अपने भूमि और भवन में स्थानान्तरण नहीं किया गया है, तथा संस्थान का स्वंय का चिकित्सालय भी प्रमाणित नहीं है, इसलिये बिन्दु संख्या 2,3,4 पर विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि Tagore Institute of Paramedical Sciences, संस्थान पॉच वर्ष पश्चात भी अपने स्वंय के भूमि / भवन में स्थानान्तरित होने में असफल रहा है, तथा संस्थान का स्वंय का चिकित्सालय होना भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार संस्थान द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल एक्ट 2008 नियम / विनियम 2014 के Part XV Rule 53 (1)A, संशोधित विनियम 2015 Rule 53 D(1) के प्रावधानों के उल्लंघन किया जाना पाया गया है।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

अतः Tagore Institute of Paramedical Sciences, Tagore Lane, Sector-7, Shipra Path, Madhyam Marg, Mansarovar, Jaipur को शैक्षणिक सत्र 2021–22 सें आगामी शैक्षणिक सत्र के लिये Diploma in Medical Laboratory Technology, Diploma in Radiation Technology, Diploma in Operation Theatre Technology, Diploma in Emergency & Trauma Care Technology, Diploma in Opthalmic Technology पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमो में छात्रो के प्रवेश आवंटन पर अस्थाई रूप से रोक लगाई जाती है।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपं. 46 / पैरामेडि.कौ / मान्यता / 2022 / 400 दिनांकः– 25/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अध्यक्ष / सचिव, माया कंवर बा महिला विकास समिति, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, (Tagore Institute of Paramedical Sciences, Tagore Lane, Sector-7, Shipra Path, Madhyam Marg, Mansarovar, Jaipur)
3. लेखा / काउन्सलिंग / परीक्षा / विधि / पंजीयन / स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
4. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार